

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

प्रलिस के लयः

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ।

मेन्स के लयः

एमपीलैड योजना का महत्त्व और संबंधति मुददे।

चरचा में क्यों?

हाल ही में वतित मंत्रालय ने [सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना](#) (MPLADS) के नयिमें में संशोधन कयिा है, जहाँ पर मलिने वाले ब्याज को [भारत की संचति नधि](#) में जमा कयिा जाएगा।

- अब तक इस फंड पर मलिने वाले ब्याज को MPLADS खाते में जोड़ा जाता था और विकास परयोजनाओं के लयि इसतेमाल कयिा जा सकता था।

भारत की संचति नधिः

- संवधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार, सरकार को मलिने वाले सभी राजसवों, जैसे- सीमा शुलक, उत्पाद शुलक, आयकर, संपदा शुलक, अन्य कर एवं शुलक और सरकार द्वारा दयि गए ऋणों की वसूली से जो धन प्रापूत होता है, वे सभी संचति नधि में जमा कयिा जाते हैं।
- इसी प्रकार सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बलि (आंतरिक ऋण) और वदिशी सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लयि गए सभी ऋणों को इस कोष में जमा कयिा जाता है।
- सभी सरकारी वयय इसी नधि से पूरे कयिा जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा नधि या सार्वजनिक नधि से संबंधति हैं) और संसद के प्राधिकरण के बनिा नधि से कोई राशा नहि निकाली जा सकती।


एमपीलैड (MPLAD) योजनाः

- MPLAD के बारे मेंः**
 - MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दसिंबर 1993 में की गई थी।
- उददेशयः**
 - मुख्य रूप से अपने नरिवाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शकिषा, सार्वजनिक स्वास्थय, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में टकिाऊ सामुदायिक संपत्ति के नरिमाण पर ज़ोर देते हुए वकिासात्मक प्रकृति के कार्यों की सफिरशि करने हेतु सांसदों को सक्षम बनाना।
 - जून 2016 से MPLAD फंड का उपयोग [स्वच्छ भारत अभयान](#) (Swachh Bharat Abhiyan), [सुगम्य भारत अभयान](#) (Sugamya Bharat Abhiyan), वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और [संसद आदर्श ग्राम योजना](#) (Sansad Aadarsh Gram Yojana) आदि योजनाओं के कार्यानवयन में भी कयिा जाता है।
- कार्यानवयनः**
 - MPLADS की प्रकरयिा संसद सदस्यों द्वारा नोडल ज़िला प्राधिकरण को कार्यों की सफिरशि करने के साथ शुरू होती है।
 - संबंधति नोडल ज़िला, संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसति कार्यों को लागू करने तथा योजना के तहत नषिपादति कार्यों और खरच की गई राशा के वविरण हेतु ज़िम्मेदार है।
- कार्य पद्धतिः**
 - MPLADS के तहत संसद सदस्यों (Member of Parliaments- MPs) को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की दो कशितों में 5 करोड़ रुपए की राशा वतितरि की जाती है। MPLADS के तहत आवंटति राशा नॉन-लैप्सेबल (Non-Lapsable) होती है।
 - लोकसभा सांसदों से इस राशा को अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज़िला प्राधिकरण परयोजनाओं (District Authorities Projects) में वयय

करने की सफ़ारिश की जाती है, जबकि राज्यसभा संसदों द्वारा इस राशिका उपयोग उस राज्य क़्षेत्र में किया जाता है जहाँ से वे चुने गए हैं।

- राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सफ़ारिश कर सकते हैं।

How does MPLADS work?



MPLADS संबंधी मुद्दे:

- कार्यान्वयन चूक: [भारत के नयित्त्रक और महालेखा परीकषक](#) (CAG) ने वत्तीय कुपरबंधन एवं खर्च की गई राशिकी कृत्त्रमि मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों को उठाया है।
- कोई वैधानिक समर्थन नहीं: यह योजना किसी भी वैधानिक कानून द्वारा शासति नहीं है और यह उस समय की सरकार की मर्जी व कल्पनाओं के अधीन प्रारंभ की गई थी।
- नगिरानी और वनियिमन: यह योजना विकास भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई थी लेकिन भागीदारी के स्तर को मापने हेतु कोई संकेतक उपलब्ध नहीं है।
- संघवाद का उल्लंघन: MPLADS स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार क़्षेत्र का अतिक्रमण करता है तथा इस प्रकार [संवधान के भाग IX और IX-A](#) का उल्लंघन करता है।
- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ संघर्ष: सांसद कार्यकारी कार्यों में शामिल हो रहे हैं।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स